

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 4/17

दायरा दिनांक 21.03.2017

आर.सी.एम.एस. नम्बर - 2017/00006

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

## उनवान

रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील किशनगंज जिला बारां - प्रार्थी

## बनाम

1. रेवडया पुत्र रंगा जाति भील निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
2. कोशल्या पुत्री रंगा जाति भील निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
3. जानकी पत्नी रंगा जाति भील निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

- अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।

प्रार्थना-पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन अंतर्गत नियम 14(4)

निर्णय

दिनांक 28.06.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बांके ग्राम रामनगर पटवार हल्का करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 में आराजी ख.नं. 227 रकबा 10 बीघा अवस्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं ग्रामवासियों के मकानात राजकीय विद्यालय आदि बने हुये हैं, प्रार्थी भी मकान में गांव आबाद होने के समय से ही अपने पूर्वजों के काल से निवास करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जाँच पडताल किये मौके पर भूमि खाली नहीं होने के बाबजूद भी अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व पति रंगा के नाम पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से साठ-गांठ करके दिनांक 22.05.1981 को विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी तरिके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकि आवंटन के पूर्व से ही उक्त आराजी ग्राम रामनगर की आबादी बसी हुई थी। मौके पर भूमि खाली नहीं होने से उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वक्त आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था, समिति द्वारा अपूर्ण कोरम होने के बाबजूद भी विधि विरुद्ध आवंटन किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के एक हिस्से पर परिवार सहित निवास करता है तथा अन्य हिस्से पर आबादी बसी हुई है। आवंटन द्वारा आज दिनांक तक भी आवंटित भूमि पर काशत नहीं की इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी

लेकिन दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थी द्वारा अपने रिहायसी मकान के पट्टे हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी हुई तत्पश्चात् नकल आवंटन व अन्य नकले प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देशी से प्रस्तुत करने पर देशी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2015 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किया कि ग्राम रामनगर की सम्पूर्ण बसावट ख.नं. 227 पर बसी हुई है, लगभग 40-50 घर है। सरकार की कोई भी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। ख.नं. 227 पर रेस्पोजेण्टगण को आवंटन कर दिया जबकि आवंटी बाहर रहते है। आवंटित भूमि मौके पर आबादी है। अतः इस भूमि ख.नं. 227 में समस्त आवंटन निरस्त कर दिये जावे, तथा आबादी में लेने के कर्नल ऑर्डर जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम रामनगर की सम्पूर्ण बसावट ख.नं. 227 पर बसी हुई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों के मकानात राजकीय विद्यालय आदि बने हुये है, परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि उक्त आराजी पर आबादी बसी हुई है। एवं भूमि पर काश्त नहीं हो रही है।

ग्राम रामनगर की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार अप्रार्थी रेवडीलाल पुत्र रंगा बगैरहा द्वारा काश्त किया जाना पाया जाता है।

इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व पति रंगा का कब्जा काश्त होना पाया जाता है। उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है ऐसा कोई प्रमाण नहीं होने व आवंटन विधिवत होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आवंटी का आवंटन यथावत रखा जाता है।

अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
शाहबाद (बारा)